न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः— अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं.— 27/2020
जी.सी.एम.एस. : 2020/00310

1. जगसीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति मजहबी निवासी 1 एलसी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0

—:प्रार्थी

बनाम

1. लाभ सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति मजहबी निवासी 1 एलसी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, रायसिहनगर

—:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः—
1. श्री अजय धारणियां, वकील प्रार्थी
2. अप्रार्थी सं. 1 स्वयं
3. राजपैरोकार

—: **निर्णय** :—

दिनांक : 10.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी क़ो अपनी कृषि जोत चक 1 एलसी तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 27/2 में दर्ज मु.नं. 9 प.नं. 124/338 के कि.नं. 3—4 सालम सालम कुल 0.506है. नहरी खातेदारी भूमि को काश्त करने व फसल लाने व कृषि यंत्र लाने व ले जाने के प्रयोजन के लिए अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 1 एलसी के मु.नं. 9 प.नं. 124/338 के कि.नं. 1—2 प्रत्येक में 2—2बिस्वा उतरी पासा कुल 4 बिस्वा यानि 0.051है. रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका/रिकार्ड जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरवाया जाकर चाहे गये रास्ता की एवज में अप्रार्थी को प्रार्थी के कि.नं. 3 में दो बिस्वा भूमि कि.नं. 2 के चिपती दिलाने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार राजस्व रायसिहगनर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2021/27 दिनांक 08.01.2021 के अनुसार प.नं. 124/338 मु.नं. 9 के कि.नं. 1—2 के दक्षिण पासा में 0.025है.—0.025है. रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की गयी हैं।

बहस वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 ने निवेदन किया कि उन्हें रास्ता स्वीकृति की एवज में प्रार्थी से उसकी भूमि कि.नं. 3 मेंसे दो बिस्वा भूमि अप्रार्थी के कि.नं. 2 के चिपते दिलाई जाने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपनी रिपोर्ट में कि.नं. 1—2 के दक्षिणी पासा में रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की हैं, जबकि प्रार्थी की मांग उतरी पासा में रास्ता स्वीकृति की है, जिस पर अप्रार्थी ने सहमति दी हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर चक 1 एलसी के मु.नं. 9 प.नं. 124/338 के कि.नं. 1—2 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा उतरी पासा गै.मु. रास्ता स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर उक्तानुसार स्वीकृत गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें एवं मुआवजा के तौर पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 की सहमति से प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज कि.नं. 3 की भूमि में से 2 बीस्वा भूमि कम करते हुए अप्रार्थी सं. 1 के नाम खातेदारी भूमि कि.नं. 2 के चिपते अप्रार्थी सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.04.08 17:00:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अर्पिता
10/02/2021

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner